BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIV | 12th June 2013 | No. 6

चैम्बर के भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष श्री के0 पी0 सिंह पंचतत्व में विलीन

23 मई, 2013 को चैम्बर में शोक सभा आयोजित

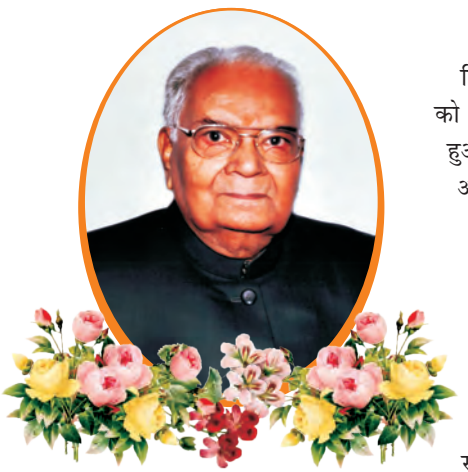

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष श्री के. पी. सिंह का दिनांक 21 मई, 2013 को 82 वर्ष के उम्र में पटना में निधन हो गया । वे कुछ दिनों से अस्वस्थ थे एवं चिकित्सा के दौरान ही उनका देहावसान हुआ । दिनांक 22 मई, 2013 को उनका अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर हुआ । दाह-संस्कार के समय चैम्बर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, कई सदस्य, परिजन एवं मित्रगण उपस्थित थे ।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने भी श्री सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है । अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि स्व. सिंह सरल स्वभाव के धनी थे । उन्होंने सूबे के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे । उन्होंने शोक संतप्त परिवार से धैर्य धारण करने की अपील की ।

23 मई, 2013 को स्व. सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल की अध्यक्षता में एक शोक सभा आयोजित की गयी ।

अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि स्व. के. पी. सिंह बड़े ही सहज, सुलभ एवं दयालु व्यक्ति थे और उन्होंने चैम्बर के कई पदों को सुशोभित किया । वे 8 अगस्त 2002 से 27 सितम्बर 2002 तक चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष रहे । वर्त्तमान में स्व. सिंह कई वर्षों से चैम्बर की पाक्षिक पत्रिका के सम्पादन का कार्य कर रहे थे । चैम्बर अध्यक्ष ने स्व. सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि चैम्बर के इतिहास में उनके द्वारा सम्पादित सेवा कार्य स्वर्णाक्षरों में सदैव अंकित एवं स्मरणीय रहेगा ।

श्री युगेश्वर पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि एक ऐसा आदमी हमसे बिछड़ गया जिसको कभी गुस्सा होते नहीं देखा । कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी जवाबदेही को बखूबी निभाया । चैम्बर के बुलेटीन में वह काफी वक्त देते थे । अधिक से अधिक समाचारों का समावेश हो, उस पर काफी ध्यान देते थे । हर्ट हॉस्पीटल में उनकी मुत्यु के वक्त एक निर्धन बच्चे को बेजार रोते देखा, पूछा तो पता चला कि स्व. सिंह ने उसे बेटा माना था एवं उसके पढ़ाई का खर्च वहन कर रहे थे । यह उनकी निर्धन के प्रति प्रेम और दयाभाव का परिचायक है ।

शेष पृष्ठ 7 पर...

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव के साथ चैम्बर की बैठक सम्पन्न

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 25 मई, 2013 को श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, भा.प्र.से. वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव के साथ चैम्बर के सदस्यों की एक बैठक आयोजित हुई । बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की । इस अवसर पर वाणिज्य-कर विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री एस. एन. झा, उपायुक्त श्री अरूण कुमार मिश्रा सहित वाणिज्य-कर विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे ।

श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष ने पुष्प गुच्छ देकर श्री सिन्हा का स्वागत किया । अपने स्वागत सम्बोधन में उन्होंने कहा कि सिन्हा साहब पूरे टीम के साथ चैम्बर में पधारे हैं, इनका हार्दिक स्वागत है । आज हम सिर्फ स्वागत ही नहीं अपनी समस्याओं को भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे । उन्होंने घोषणा-प्रपत्र D-VIII के कारण होने वाली समस्याओं पर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि आपने इसमें काफी सुधार करने की कृपा की है । मेरे विचार से इसमें अभी भी काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है । खासकर प्रेषित माल (Consignment) के मूल्य को 25 हजार से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपया या अधिक किया जाय । घोषणा-पत्र की वैद्यता अवधि 144 घंटे से अधिक होनी चाहिए । विक्रेता व्यवसायी के साथ-साथ क्रेता व्यवसायी को भी माल परिवहन हेतु घोषणा प्रपत्र जनित करने की

सदस्यों को संबोधित करते वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा। उनकी बायीं ओर संयुक्त आयुक्त श्री एस. एन. झा। दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

सुविधा दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त श्री अग्रवाल ने चैम्बर के संक्षिप्त इतिहास से वाणिज्य-कर आयुक्त को अवगत कराया ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं वैट उप समिति के चेयरमैन श्री डी. पी. लोहिया ने चैम्बर की ओर से तैयार ज्ञापन में अंकित समस्याओं एवं सुझावों को पढ़कर सुनाया । ज्ञापन की मुख्य मांगें थी - घोषणा प्रपत्र D-VIII, D-IX, D-X के सम्बन्ध में होने वाली समस्याएँ एवं सुझाव, उद्योगों में उपयोग होने वाले कच्चे माल की खरीद पर "प्रवेश-कर'' समाप्त करना, उद्योग हेतु प्लांट मशीनरीज के रूप में व्यवहार किये जाने वाले विद्युत उपकरणों के प्रतिष्ठापन (Electrial Installation) पर प्रवेश-कर को समाप्त करना, PSC/PCC Pole के फैक्टरियों को कुप्रभाव से बचाने हेतु वैट दर पड़ोसी राज्यों के समतुल्य किया जाना । इसके अतिरिक्त प्रपत्र-सी, वैट प्रतिपूर्त्ति, केन्द्रीय प्रपत्र "एफ" का Online generate नहीं होना तथा व्यवसायी कल्याण कोष की स्थापना करना ।

चैम्बर के पूर्व अधयक्ष श्री ओ. वी. साह ने वैट प्रतिपूर्त्ति को On line करने के लिए I.T. Expert की सहायता लेकर इसे शीघ्र लागू कराया जाय । इस कार्य हेतु 300 करोड़ की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रीमंडल के समक्ष था जिसकी स्वीकृति मिली है । इसको शीघ्र अमल में लाया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि D-VIII के लिए मैनुअल भी काम होना चाहिए ।

श्री पी. के. सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन ने कहा कि पिछले 10 दिनों से D-VIII फार्म के चलते व्यापारी डर से नहीं आ रहे हैं । ठेला रोक कर, तरह-तरह की पूछताछ एवं कागजात की मांग की जाती है साथ ही प्रमाणित भी करने को कहा जाता है कि माल अमुक राशि का ही है । जाँच करनी हो तो संबंधित दूकान में करें । फार्म डाउनलोड करने में दिक्कत होती है । मारूफगंज में खाद्यान्न वालों की भी यही समस्या है । श्री सिंह का सुझाव था कि अगर यह लागू करना ही हो तो मैनुअल किया जाय । वैट लागू करने के समय कहा गया था कि किसी तरह का रोड परमिट नहीं रहेंगा ।

जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष श्री बिजय लोहिया ने कहा कि D-VIII के तहत बिक्री 50 हजार से घटाकर 25 हजार कर दिया गया इससे व्यापारियों में क्षोभ है । मेरी समझ से बिहार में इसकी आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सीमाओं पर आपके चेक पोस्ट पर पूरी निगरानी रहती है । 5% माल यहाँ निर्मित होते हैं, बाकि सामान बाहर से आते हैं । बड़े व्यापारी साधान सम्पन्न हैं परन्तु छोटे व्यापारियों को काफी कठिनाई हो रही है । राज्य का राजस्व संग्रहण 2200 करोड़ से 11 हजार करोड़ हो गया है इसके लिए व्यवसायियों को धन्यवाद देना चाहिए । D-IX एवं C किसी भी राज्य में नहीं है ।

पूर्वोत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कटिहार के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ मुकीम ने कहा कि D-VIII से काफी परेशानी हो रही है । बिहार के बाहर से माल मंगवाने हेतु व्यवसायी सुविधा उत्पन्न करें या व्यवसाय करें । विभाग जितना चाहे टैक्स सीमा पर ले परन्तु इस प्रपत्र से मुक्त कर दें ।

श्री नवीन कुमार मोटानी ने कहा कि पटना में CNF के राजस्व गणना होती ही है इसलिए जिलों को इससे मुक्त कर देना चाहिए ।

श्री डी. बी. गुप्ता, अधिवक्ता ने एक समस्या पर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया कि D-IX की प्रणाली लागू की गयी है इसके अन्तर्गत माल किस चेक पोस्ट से आ रहा है उसे दर्शाना होता है, यदि दूसरे चेक पोस्ट से ट्रक आ रही है तो उसे रोक दिया जाता है ।

श्री संजीव कुमार चौधरी, चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि चालान निकालने में सर्वर की समस्या रहती है ।

श्री विशाल टेकरीवाल ने कहा कि D-IX जब स्थगित (Lock) हो तो पार्टी को सूचना दी जानी चाहिए ।

श्री उत्पल सेन ने कहा कि दवा पर MRP पर टैक्स प्रथम बिन्दु पर दे ही देते हैं तब टैक्स की देनदारी नहीं बनती है । इस पर ध्यान दिया जाय ।

इसके अतिरिक्त श्री संदीप सराफ, श्री अमित मुखर्जी, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, श्री नवीन गुप्ता, श्री एम. पी. बिदासरिया, श्री रविकान्त, श्री गणेश कुमार खेमका सहित कई सदस्यों ने अपनी समस्याओं एवं सुझावों को रखा ।

वाणिज्य-कर विभाग की ओर से पावर प्वांइट प्रेजेन्टेशन द्वारा D-VIII एवं अन्य विषयों की जानकारी भी दी गयी ।

सदस्यों की समस्याओं एवं सुझावों पर वाणिज्य-कर आयुक्त ने कहा कि 25 हजार रुपये तक के व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए फॉर्म D-VIII देने का आदेश पहले ही लागू हो गया था लेकिन नई व्यवस्था में इसे ऑनलाईन कर दिया गया है । इससे परेशानी काफी कम हो जायगी । जब तक ऑन लाईन व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाता तब तक पुरानी व्यवस्था भी कायम रहेगी । उन्होंने कहा कि हम अभी व्यवस्था को Full Proof नहीं मानते हैं । राज्य में 19 चेक पोस्टों में मात्र छह चेक पोस्ट ही कार्यरत हैं । उन्होंने कहा कि अब व्यवसायियों को सुविधा नम्बर के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा । सरकार शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करने जा रही हैं कि मोबाइल से मैसेज कर भी इसे पाया जा सकेगा । राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 37.5 हजार करोड़ रूपये हैं । लेकिन गत वित्तीय वर्ष में कुल कर संग्रह 11 हजार करोड़ रूपये का ही रहा । कुल कर संग्रह सकल घरेलू उत्पाद का 10 फीसदी भी नहीं था । राजस्व को विकसित करने और व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हेतु व्यवसाय से जुड़ी संभावना को प्रोत्साहित करना होगा ।

फार्म D- VIII का जिक्र करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त श्री सिन्हा ने कहा कि सभी व्यवस्था के प्रारम्भ में समस्याएं तो रहती ही है । लोक सेवक का काम समस्याओं का समाधान करना होता है । D-VIII से सॉफ्टवेयर को विकसित करने के क्रम में विभाग ने बौद्धिक सहयोग चैम्बर से भी लिया है । अभी सुधार के लिए और प्रयास किये जाने हैं । D-VIII एवं D-IX को मिला कर एक वेबसाईट डिजाइन करने का प्रस्ताव है । इस प्रयास से व्यवसायी घर बैठे ही इन्वाइस, बैलेंसशीट आदि प्राप्त कर सकते हैं । हमारा प्रयास है कि आपके सहयोग से राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि हो । वाणिज्य-कर विभाग इन्हीं भावनाओं के साथ चैम्बर के सहयोग से अपने काम निष्पादित कर रहा है । विभाग में प्रतिदिन शाम चार बजे से बैठक होती है जिसमें व्यवसायी अपनी समस्याएं बताकर समाधान करा सकते हैं ।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री ओ. पी. साह एवं श्री मोती लाल खेतान, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण सराफ, श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता एवं संजय कुमार खेमका, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा, कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रेस एवं मीडिया के वन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे । धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा ने किया ।

बीसीसीआई ने किया बियाडा की नीति का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने बिहार औद्योगक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा लागू जमीन वापसी नीति का स्वागत किया है।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से बराबर विभिन्न मंचों पर यह मांग की जा रहा थी कि राज्य में बहुत सी ऐसी इकाइयां हैं जिनका उत्पादन विभिन्न कारणों से बंद हो गया तथा वे पुन: चालू करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके जमीन वापसी के लिए एग्जिट पॉलिसी लाई जाए जिससे कि वैसे उद्यमी बियाडा द्वारा आवंटित भूखंडों को वापस कर भूखंड के लिए जमा की गई राशि को वापस ले सके। श्री अग्रवाल ने कहा कि एग्जिट पॉलिसी के तहत वैसे तीन प्रकार की इकाई पात्र हैं। पहला– जिन्होंने भूखंड आवंटित होने के बाद अपना उद्योग स्थापित कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया, परंतु अब बंद कर दिया है और पुन: चालू करने की स्थिति में नहीं है।

दूसरा– वैसी इकाई पात्र होगी जिन्होंने उद्योग को स्थापित करने की दिशा में कारगर कदम उठाते हुए असैनिक और यांत्रिक निर्माण कार्य किया हो, परंतु कुछ कारणों से इकाई को पूर्णत: स्थापित करने एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है। तीसरा– वैसी इकाई पात्र होगी जिन्होंने भूमि के आवंटन के उपरांत उस पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है।

(साभार- हिन्दुस्तान : 8.5.2013)

"प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर में जीएसटीएन की भूमिका" पर जीएसटीएन के अध्यक्ष के साथ संवाद

जीएसटीएन से जुड़ना अनिवार्य करदाताओं की आईटी संरचना को एकरूपता देगा जीएसटीएन व्यवसायियों का बनेगा एक युनिक आईडी हर टैक्स भुगतान का होगा एक कॉमन पेमेंट गेट वे जीएसटी लागू करने में लगेगा समय – श्री नवीन कुमार, अध्यक्ष, जीएसटी नेटवर्क

सदस्यों को संबोधित करते जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार। उनकी दांयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। उनकी बांयी ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं पूर्व अध्यक्ष श्री डी. पी. लोहिया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 3 जून 2013 को "प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (GST) में जीएसटी नेटवर्क की भूमिका पर जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार, भा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) की चैम्बर सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की।

चैम्बर अध्यक्ष ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि वर्ष 2005 में वैट की व्यवस्था शुरू हुई थी, अब प्रस्तावित जीएसटीएन प्रणाली को लेकर व्यवसायियों में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। 2010 में जीएसटी को लागू करने के लिए कार्य आरम्भ हुआ। दुनिया के अधिकांश देश इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। यह माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से देश का व्यापार बढ़ेगा। जीएसटी नेटवर्क अपने आप में उपयोगी होगी। जीएसटीएन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी श्री नवीन कुमार जी देंगे।

सदस्यों को संबोधित करते हुए जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार ने बताया कि कम्पनीज एक्ट की धारा 25 के तहत वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) का निबंधन 28 मार्च 2013 को नन प्रोफिट मेकिंग कम्पनी के रूप में हुआ है। जीएसटीएन कम्पनी में सरकार व निजी कम्पनियों की भागीदारी 49 एवं 51 प्रतिशत रखी गई है। इसका पूर्ण गठन होने पर आईटी परामर्शदातृ कमीटी जीएसटी के लिए सलाह देगी। जीएसटीएन को बतौर सूचना-प्रौद्योगिकी कम्पनी के रूप में भविष्य में लागू होने वाली वस्तु एवं सेवा कर की सशक्तिकरण कमीटी को सहयोग प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कम्पनी द्वारा जीएसटी कमीटी को सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ी आधारभूत संरचना के विभिन्न मुद्दों को शेयर कर विकसित करना और सेवा प्रदान करना है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य और केन्द्रीय कर की आईटी संरचना को एकरूपता प्रदान करने का प्रयास जीएसटीएन के माध्यम से किया जाएगा।

जीएसटीएन की मदद से सभी कम्पनियों की बिवरणी सामान्य प्रक्रिया के तहत एक ही नेटवर्क पर हो जाएगा। फलस्वरूप कर देयता की जानकारी भी आसान हो जायेगी। श्री कुमार ने आगे कहा कि जीएसटीएन के तीन को फंक्शन हैं– रजिस्ट्रेशन, रिटर्न एवं पेमेन्ट ऑफ टैक्स। रजिस्ट्रेशन पैन यूनिक आईडी के आधार पर होगा और जितने जीएसटी के रिटर्न जमा होंगे वह एक ही नेटवर्क के माध्यम से फाइल होंगे। पेमेन्ट ऑफ टैक्स कॉमन पेमेन्ट गेट वे से किया जायेगा जिसमें सभी प्रकार के करों के भुगतान की व्यवस्था होगी।

जीएसटीएन के अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम तीन वर्ष तक भारत सरकार आईटी कम्पनी को अनुदान देगा, फिर कम्पनी सर्विस टैक्स से अपनी आय करेगी। अभी अलग-अलग राज्यों में टैक्स की अलग-अलग व्यवस्था है जिसे जीएसटीएन जोड़ने का काम करेगा। जीएसटीएन के तहत एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने का प्रयास होगा जिससे अंतरराज्यीय व्यापार के सभी अड़चने खत्म हो जाएँ।

नयी प्रणाली बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि पुरानी व्यवस्था से मिलती-जुलती नई व्यवस्था हो और किसी को परेशानी नहीं हो। अंतरराज्यीय व्यापार में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का सत्यापन भी जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से होगा।

श्री कुमार ने कहा कि अभी जीएसटी लागू करने में समय लगेगा। जीएसटीएन अगले छह माह में कार्यरत होने की संभावना है। इसके लिए सभी राज्यों को अभी से तैयार रहना होगा। अब सभी व्यापारियों एवं उद्यमियों को जीएसटीएन से जुड़ना अनिवार्य होगा। इस अवसर पर सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी श्री कुमार ने दिये।

बैठक में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी. पी. लोहिया, श्री मोती लाल खेतान, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा के अतिरिक्त चैम्बर के सदस्य एवं प्रेस एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा ने किया।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के प्रबंध निदेशक द्वारा आयोजित बैठक में चैम्बर द्वारा ज्ञापन समर्पित

दिनांक 30 मई 2013 को नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के प्रबंध निदेशक द्वारा ग्राहकों एवं ग्राहकों के संगठन के साथ विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, एनर्जी सब कमिटी के को-चेयरमैन श्री उमेश पोद्दार एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री विशाल टेकरीवाल सम्मिलित हुए । इसके साथ ही नौर्थ वेस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छपरा के महामंत्री श्री पवन कुमार अग्रवाल भी सम्मिलित हुए ।

उक्त अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, नौर्थ इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कटिहार तथा नौर्थ वेस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छपरा द्वारा एक ज्ञापन प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । बैठक में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री यू० एन० पंजीयार भी उपस्थित थे। ज्ञापन के प्रमुख बिन्दु निम्न हैं :-

1. हाजीपुर इंडस्ट्रीयल एरिया में 33 KV की आपूर्ति के संबंध में बताया कि

(i) हाजीपुर इंडस्ट्रीयल एरिया में 33 KV का विद्युत लाइन आपूर्ति में बराबर उतार-चढ़ाव (Fluctuation) के कारण काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ।

(ii) उपभोक्ता के यहाँ 33 KV का सील मीटर स्थापित किया गया है एवं उस कमरे को भी सील किया गया है जिसमें मीटर रखा गया है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को मीटर की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चल पाता है । हमारा सुझाव है कि इसे पारदर्शी बनाया जाए जिससे कि उपभोक्ता भी सहजता से रूम के बाहर से मीटर के डाटा को देख सके ।

(iii) 33 KV के उपभोक्ता हेतु हाजीपुर इंडस्ट्रीयल एरिया में उपभोक्ता के प्रांगण से बाहर कुछ दूर पर Parallel मीटर लगाया गया है जिसकी ऊँचाई बहुत कम है और ऐसी आशंका है कि सहजता से किसी भी व्यक्ति का हाथ मीटर तक पहुँच सकता है और कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान पहँचा सकता है । हमारा सुझाव है कि इसकी ऊँचाई ऐसी की जाए जिससे कोई व्यक्ति सहजता से मीटर तक नहीं पहुँच सके ।

2. बिजली का नया कनेकशन, बिल पेमेन्ट की समुचित व्यवस्था करने, समय पर बिजली विपत्र जारी करने, उपभोक्ताओं को विपत्र देने एवं भुगतान तिथि में कम से कम 14 दिनों का अन्तर रखने, फ्यूज कॉल के लिए समय सीमा का निर्धारण करना, जले ट्रांसफार्मर का मरम्मत एवं बदलना, लोड बढ़ाने की समुचित व्यवस्था करने पर ध्यान दिलाया गया । साथ ही जो सेवाएं ऑन लाईन करना संभव है, उसे ऑन लाइन करने का अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि कम्पनी द्वारा विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय-सीमा का निर्धारण कर अपना लोड बढ़ाने की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता सहजता से अपना लोड बढ़वा सके, जिस पर प्रबंध निदेशक ने अपनी सहमति व्यक्त की ।

3. सिक्यूरिटी डिपॉजिट पर जो ब्याज दिया जाता है उसे बढ़ाया जाना चाहिए तथा साल के अन्त में ग्राहकों के खाते में उसका सामंजस्य किया जाना चाहिए । साथ ही इनकम टैक्स का जो टीडीएस काटा जाता है उसका सार्टिफिकेट दिया जाना चाहिए ।

4. चैम्बर अध्यक्ष ने डिमांड बेस टैरिफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी लोकप्रियता के संबंध में बड़े पैमान पर प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है । उन्होंने आगे कहा कि जो उपभोक्ता चाहते हैं कि बिजली का मीटर उनके प्रांगण के बाहर लगाया जाए उन्हें बाहर में रखने की अनुमति दिया जाए जिससे कि उपभोक्ता अनावश्यक परेशानी से बच सकें।

5. उन्होंने कहा कि डीएस कंज्यूमर को जिस प्रकार से एसी एवं गीजर में जिसका लोड अधिक होता है उसी लोड को कैलकुलेट किया जाता है । उसी तरह की व्यवस्था एनडीएस उपभोक्ताओं के लिए भी किया जाना चाहिए ।

6. उन्होंने कहा कि मीटर रीडिंग प्रत्येक माह में अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत उपभोक्तओं का होना चाहिए और रीडिंग सही होनी चाहिए, बिजली विपत्र के वितरण की व्यवस्था नियमित रूप से होनी चाहिए, वर्तमान में बिजली विपत्र में काफी त्रुटियाँ आ रही है जिसके चलते समय पर बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है, अत: बिल में तीव्र गति से सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए । सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं (शहरी या ग्रामीण) को मीटरीकृत किया जाना चाहिए ।

7. जर्जर तार, जले ट्रांसफारमर, टूटे-फूटे बिजली के पोल, जले या दोषपूर्ण मीटरों को शीघ्र बदला जाना चाहिए तथा वोलटेज Fluctuation और सीरीज होनेवाली समस्या को दूर किया जाना चाहिए ।

8. नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी की बैठक अन्य प्रमंडल मुख्यालय में भी की जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा समस्या की जानकारी प्राप्त हो सके ।

उन्होंने नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के प्रबंध निदेशक से राज्य के आम उपभोक्ता के साथ-साथ विशेष रूप से उद्यमियों के व्यापक हित में अविलम्ब उपर्युक्त सुझावों पर विचार करने का अनुरोध किया ।

जीएसटी मसले पर बढ़े कदम, पर असहमति का भी गम

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मामले में उन वस्तुओं की साझा सूची पर सहमत हो गए है, जिन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। हालांकि राज्य तीन बड़े मुद्दों रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (राजस्व भरपाई दर-आरएनआर) दोहरा नियंत्रण और अधिकतम सीमा पर सहमति नहीं बन पाई।

राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति में केंद्र राज्यों से सामंजस्य बैठाने के लिए कर दायरे से बाहर रखी जाने वस्तुओं की सूची का आकार कम किया है। इस समय राज्यों ने मूल्यवर्धित कर के दायरे से 96 वस्तुओं का बाहर रखा है। दूसरी तरफ केंद्र ने ऐसे 240 वस्तुओं की सूची तैयार कर रखी है जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। 84 ऐसी वस्तुएं हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कर नहीं लगाते हैं। राज्यों के साथ तालमेल बैठाने के लिए शेष 12 वस्तुओं को भी छूट के दायरे में रखने पर सहमत हो गई है।

अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने संवाददाताओं से कहा, 'सेवाओं के लिए भी सूची साझी होगी और केंद्र जीएसटी के तहत उन वस्तुओं की सूची की समीक्षा करेगी जिन्हें कर से छूट दी गई है।'

नहीं बनी सहमति	बन गई सहमति
अधिकतम सीमा : कुछ राज्यों ने कहा कि 25 लाख की अधिकतम सीमा होने से उनके ज्यादातर कारोबारी जीएसटी से बाहर हो जाएंगे।	**छूट सूची :** केंद्र और राज्यों के लिए साझा सूची, केंद्र वैट से छूट प्राप्त 12 वस्तुओं को रखेगा दायरे से बाहर।
राजस्व तटस्थ दर : कोई फैसला नहीं क्योंकि कर अधार मालूम नहीं, एनआईपीएफपी करेगा इसका फैसला।	**चक्रीय योजना :** 1 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले कारोबारी देंगे केवल 0.5 प्रतिशत कर।
दोहरा नियंत्रण : राजस्व की वह सीमा जिसके नीचे कारोबारी केवल राज्यों से नियंत्रित होंगे, उस पर फैसला नहीं।	**अंतरराज्यीय कारोबार :** मौजूदा प्रणाली के तहत ही सभी कारोबारी देंगे कर, क्योंकि अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं।

वर्तमान में ज्यादातर राज्यों में वैट सीमा 5 लाख रूपये है, वहीं उत्पाद शुल्क के लिए यह 1.5 करोड़ रूपये है। अगर यह 25 लाख रुपये रखा जाता है तो 65 प्रतिशत कारोबारी, जो कुल कर का महज 3 प्रतिशत भुगतान करते हैं, जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे।

इस तरह से कर विभाग का प्रशासनिक काम कम होगा। उप समिति ने सुझाव दिया है कि जिन कारोबारियों का कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है, उनका प्रशासनिक नियंत्रण राज्यों के अधीन होना चाहिए, जबकि इससे ज्यादा कारोबार करने वाले कारोबारियों का नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों के हाथों होना चाहिए। इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं है। बहरहाल इस मामले में राज्यों में सहमति है कि 1 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने की अनुमति होनी चाहिए। डीलर मानक दरों पर जीएसटी के भुगतान के बजाय कर के अधीन आने वाले कारोबार पर 0.5 प्रतिशत लेवी का विकल्प अपना सकता है, लेकिन वह टैक्स क्रेडिट के दावे का अधिकार खो देगा।

उप समिति ने इस योजना के लिए 60 लाख की सीमा का प्रस्ताव किया है, वहीं राज्यों ने सुझाव दिया है कि बजट में आयकर की नई सीमा 1करोड़ रुपये किए जाने को ध्यान में रखते हुए इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

एक राज्य से दूसरे राज्य में माल लाने और ले जाने के बारे में समिति ने एक नए मॉडल कंपेंसेटरी वैट का सुझाव दिया है, क्योंकि राज्यों का मानना है कि पहले के मॉडल में कुछ खामियां है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल लाने और ले जाने के लिए कोई सीमा नहीं तय की गई है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाता है तो उसे कर का भुगतान करना होगा।

(साभार : बिजनेश स्टैंडर्ड 11.5.2013)

बिजली की गडब्रडी है तो तत्काल करें फोन

पेसू ने जारी किए कार्यपालक अभियंताओं के नंबर

डिविजन	कार्यपालक अभियंता	फोन नम्बर
न्यू कैपिटल	वीके श्रीवास्तव	9835040782, 0612-2217513
डाकबंगला	एस के दास	9835040781, 0612-2220004
पाटलिपुत्र	के के सिंह	9835040783,
गर्दनीबाग	जे एस साहनी	98350785
दानापुर	राजीव रंजन	9835040784
राजेन्द्र नगर	श्रीराम साह	9835270780
बांकीपुर	इंद्रदेव	9905935634
कंकड़बाग	शंकार चौधरी	9470643296
गुलजारबाग	मो. रिजवान अहमद	9835066442
पटना सिटी	मृत्युंजय कुमार सिंह	9835416209

ये है पेसू पश्चिम के सहायक अभियंताओं के फोन नम्बर

ईश्वरी प्रसाद, न्यू कैपिटल, 9835286260, मो. कैसर परवेज, बोर्ड कालोनी, 9835060363, मनोज कुमार खाजपुरा, 9835506628, संजीत कुमार, मौर्यालोक, 870169584, अरविद कुमार, कदमकुआं, 9801721921, संतोष कुमार, पाटलिपुत्र, 9534493763, अमरेन्द्र कुमार एसके पुरी, 9835413335, विनोद कुमार सदाकत आश्रम, 9308267131, मो परवेज आलम, गर्दनीबाग , 9835040797, संतोष कुमार, जक्कनपुर, 9472883134, पंकज कुमार जक्कनपुर सबस्टेशन, 9835551127, अजय कुमार, दानापुर, 9798674478, मिथिलेश कुमार, 9835040795, इंदूभूषण कुमार कश्यप, खगौल, 9835040796।

पेसू पूर्वी एरिया के सहायक अभियंता

विकाश कुमार, बांकीपुर, 9835066435, मनोज कुमार, पटना विवि, 8507379919, संजीव कुमार रंजन, राजेन्द्रनगर सैदपुर, 9304075508, वरुण कु,विकाश, मछुआ टोली, 759028435, अनिल कुमार, करबिगहिया, अशोकनगर, 9693447265, आरके नगर, चंन्द्रमोहन, कंकड़बाग, 9308109414, प्रसून कुमार, बहादुरपुर पहाड़ी, 9304897505, संदीप प्रकाश एनएमसीएच, गायघाट, 9905634060, अविनाश गौरव, मीनाबाजार, 9905810506, अभिमन्यु कु. भारती, मंगल तालाब, 9835629111, सौरभ कुमार, मालसलामी, 8651871513, विजय कुमार, कटरा, करमलीचक, 9835458831

(हिन्दुस्तान: 24-25.4.2013)

बियाडा ने 46 छोटे उद्योगों के लिए दी जमीन

• पटना से बाहर विभिन्न औद्योगिक प्रांगणों में आवंटित किए गए भूखंड

• उद्योग इकाइयों के हर जिले में फैलाव की रणनीति पर अमल

उद्योग इकाइयों के प्रदेश के हर जिले में फैलाव की रणनीति पर अमल करते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने विभिन्न औद्योगिक प्रांगणों में 46 निवेशकों को जमीन दी है। उद्योग इकाइयां लगाने के लिए इन्हें पटना से बाहर औरंगाबाद, भोजपुर, सासाराम एवं नवादा में जमीन दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि निवेशकों की पहली पसंद पटना या उसके आसपास के इलाके हैं। सभी इन्ही क्षेत्रों में अपनी उद्योग इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में उद्योग विभाग को सभी को जमीन मुहैया कराना एक कठिन काम है। विभाग ने इंडस्ट्री के डिस्पर्सल की नीति के तहत विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक प्रांगणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेशकों से उनके लिए प्रस्ताव मांगे थे। करीब 120 प्रस्ताव आए और उनमें से 46 को जमीन आवंटित की गई है। सबसे अधिक प्रस्ताव चावल मिल और प्लास्टिक वाटर टैंक के लिए आए। शिक्षण संस्थान के लिए भी प्रस्ताव आए। बियाडा के प्रबंध निदेशक दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार के पश्चात 46 निवेशकों को भूखंड आवंटित किए गए ।

कुछ प्रमुख प्रस्ताव : चावल मिल-8, प्लास्टिक पाइप एवं टैंक-5, पीवीसी पाइप-3, शिक्षा संस्थान-3, चौमिन, चिप्स एवं नोडल्स-3, साबुन एवं डिटरजेंट-2

(साभार : दैनिक जागरण : 9.5.2013)

उत्तर बिहार में 31 उद्योगों का प्रस्ताव मंजूर

तीस अप्रैल को प्रोजेक्ट क्लीयरिंग कमेटी की बैठक में मुज़फ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 28 करोड़ के निवेश वाले जहां 19 औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति देते हुए जमीन का आवंटन किया गया, वहीं इस बैठक में उत्तर बिहार के अन्य जिलों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी औद्योगिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।

बैठक में सीतामढी के लिए कुल पांच औद्योगिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इन पांच उद्योगें में लगभग ढाई करोड़ का निवेश होगा। वहीं रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए जमीन का आवंटन किया गया। इन दर्जन भर उद्योगों में कुल पांच करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। इसके साथ ही कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी कुल 12 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजुरी दी गई, जिनमें लगभग सवा 12 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।

रक्सौल में सवा करोड़ की लागत से दो उद्योग लगेंगे। उत्तर बिहार में कुछ 31 प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने से उद्यमी गदगद हैं। हालांकि इस बैठक में सीतामढ़ी के लिए मिले तीन, रामनगर के लिए मिले तीन तथा कुमारबाग के लिए मिले तीन आवेदनों को अस्वीकृत भी किया गया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.5.2013)

पटना में भी तराशा जायेगा हीरा

हर माह तीन लाख का लक्ष्य, मुख्यमंत्री ने किया फैक्टरी का उद्घाटन

बिहार में हीरा तराशने की पहली फैक्टरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16.5.2013 को किया। यहां हर माह तीन लाख हीरे तराशे जायेंगे व 1500 कारीगर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कुछ वर्षों में काफी निवेश हुआ है, लेकिन जो निवेश आज हुआ है, उसकी तुलना पहले से नहीं की जा सकती है। बिहार में हीरा तराशने का कारखाना खुलेगा, यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था। बिहार के विकास में आज का दिन याद रखा जायेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में एक सूई का भी कारखाना नहीं खुला। अब हीरा का कारखाना खुल गया और वे सुई की बात करते हैं। इस मौके पर श्रेनुज एंड कंपनी लिमिटेड के मालिक श्रेयस के दोषी ने मुख्यमंत्री को इस फैक्टरी में तराशा गया पहला हीरा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह हीरा पटना म्यूजियम में रखा जायेगा। इसका बेहतर ढंग से डिसप्ले होगा। उन्होंने फैक्टरी मालिक से आग्रह किया कि अन्य उद्यमियों को भी बिहार लाएं। निवेश के लिए यह राज्य बिल्कुल सुरक्षित है। यहां तराशे गये हीरे दुनिया भर में जायेंगे।

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस फैक्टरी के जरिये 600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। बिहार फाउंडेशन की यह दूसरी सौगात है। फतुहा में लेदर फैक्टरी का शिलान्यास हुआ है। इसके पीछे भी फाउंडेशन की बड़ी भूमिका है। उद्योग मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा ने कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए जिला व प्रखंड स्तर पर भी सिंगल विंडो सिस्टम कार्य करेगा। श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने कहा कि और भी उद्योग खुलेंगे।

कंपनी के मालिक श्रेयस के दोषी ने कहा कि काफी छानबीन के बाद उन्होंने यहां उद्योग लगाने का निर्णय लिया। बिहार फाउंडेशन के आमंत्रण के बाद कंपनी की टीम ने बिहार का दौरा किया और यह अध्ययन किया कि यहां हीरे की फैक्टरी स्थापित करना कितना सुरक्षित होगा। यह एक साल पहले की बात है। टीम ने जो रिपोर्ट दी, उसे जानकार हमने यहां आने का निर्णय लिया। अभी इस फैक्टरी में 150 कारीगार काम करेंगे। धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ कर 1500 होगी। सभी कारीगर बिहार के ही होंगे । यहां स्थानीय लोगों को हीरा तराशने का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। बिहार में और अधिक निवेश करने पर हम विचार कर रहे हैं। पांच-छह माह में इस पर निर्णय लेंगे। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष ओ. पी. साह इस अवसर पर मौजूद थे।

(साभार-प्रभात खबर: 17.5.2013)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग।

आवश्यक सूचना

दिनांक 16 मई, 2013 से राज्य के निबंधित व्यवसयियों के लिए Intrastate ऑनलाईन D-VIII का Soft launch किया जा रहा है। ऑनलाईन D-VIII निर्गमन की सुविधा हेतु विशेष रूप से समर्पित वेबसाईट www.ctdbihar.in / www.ctdbihar. gov.in उपलब्ध है।

सभी निर्बंधित व्यवसायियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्यांर्तगत संव्यवहारों के लिए 'सुविधा' जनित करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएं:-

1. www.ctdbihar.in /www.ctdbihar.gov.in पर लॉगईन कर अपना TIN enter कर Registration करें;
2. राज्यांतर्गत संव्यवहारों के लिए सम्प्रति विनिर्दिष्ट प्रपत्र BHR-1(प्रथम बिन्दु के व्यवसायी के लिए), BHR-2 (राज्यांतर्गत भंडार अंतरण के लिए एवं द्वितीय एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए प्रदर्शित बिक्री के लिए) तथा BHR-3 अनिर्बंधित व्यवसायियों के द्वारा की गई बिक्री में से बिक्री के स्वरूप के अनुसार एक का चयन करें; (कालान्तर में भिन्न-भिन्न प्रपत्रों के स्थान पर एक समेकित प्रपत्र की व्यवस्था की जायेगी)
3. बिल संख्या, दिनांक, मात्रा एवं मूल्य, परिहवनकर्त्ता का विवरण इत्यादि की प्रविष्टि कर इसे Submit करें;
4. विवरण की प्रविष्टि करने के उपरांत 16 अंकों की 'सुविधा' संख्या स्वत: जनित होगी जिसकी संख्या अथवा प्रिंट आउट माल के परिवहन के समय साथ रखी जानी चाहिए तथा जाँच/निरीक्षण के क्रम में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

ह०/- 15.5.2013
(नरेन्द्र कुमार सिन्हा)
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना

दानापुर रेल उपभोक्ता परामर्शदातृ समिति की बैठक में ज्ञापन समर्पित

दानापुर रेल उपभोक्ता परामर्शदातृ समिति की बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 2013 को आयोजित बैठक में चैम्बर प्रतिनिधि श्री सबल राम डोलिया द्वारा दानापुर मंडल से जुड़ी यात्रियों की समस्याओं एवं सुझावों को निम्नानुसार समर्पित किया गया:-

1. मुगलसराय और किउल जक्शन के बीच पटना आने वाली ट्रेन लेट होने लगती है । इसमें सुधार किया जाये ।
2. ट्रेन में दुर्घटनाएं काफी बढ़ गई है, इसलिए यात्रियों को सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल (RPF) की संख्या बढ़ानी चाहिए ।
3. लखीसराय जक्शंन पर कुछ माह पहले तक टी.सी. कार्यालय था, उसे हटा दिया गया है। फिर से टी.सी. कार्यालय बहाल किया जाय ।
4. लखीसराय में वेटिंग रूम को पुलिस चौकी बना दिया गया है जिसके कारण प्लेटफार्म पर वेटिंगरूम के सामने पुलिस द्वारा बोरा से जाम कर देने के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने उतरने में काफी दिक्कत हो रही है ।
5. पटना जंक्शन पर गाड़ी की प्लेटफार्म संख्या निश्चित होनी चाहिए ।
6. राजेन्द्र नगर टर्मिनल में घड़ी लगाने की बात थी उसे अविलम्ब लगवाया जाय ।
7. पटना सिटी एवं गुलजारबाग स्टेशन पर आरक्षण काउन्टर समय पर नहीं खुलता है । खुलने पर लिंक फेल का बहाना बनाकर बन्द कर दिया जाता है ।
8. पटना में भी चलन्त आरक्षण काउन्टर खुलना चाहिए ।
9. पटना जंक्शन और राजेन्द्र नगर टर्मिनल से जितनी भी महत्वपूर्ण ट्रेनें खुलती हैं उसे प्लेटफार्म नं० 1 से खोला जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।
10. पटना से दिल्ली, पटना से पुणे, पटना से बंगलोर (मद्रास), पटना से मुम्बई की दुरन्तो ट्रेन चलायी जाय ।
11. भागलपुर सूरत ट्रेन जो सप्ताह में दो दिन ही चलती है, भीड़ को देखते हुए प्रतिदिन किया जाय एवं रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया जाय ।
12. हवाई अड्डों की तरह पटना जंक्शन में भी यात्रियों को अपना सामान लाने जे जाने के लिए ट्राली की व्यवस्था की जाय । हावड़ा स्टेशन की तरह ट्राली कुली की व्यवस्था हो ।
13. पटना जंक्शन पर अधिकतर वाटर कूलर खराब पड़े हैं, उसे यथाशीघ्र ठीक कराया जाय ।
14. वैसी गाड़ी जिसकी प्रतीक्षा सूची अधिक है, अतिरिक्त कोच लगायी जाय।
15. आरक्षण के संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारी के अनुरोध को भी रिजर्वेशन में प्राथमिकता दी जाय ताकि उनके प्रतिनिधि को अचानक यात्रा में सुविधा मिल सके ।
16. I.R.C.T.C. की खानपान सेवा के द्वारा ट्रेन व प्लेटफार्म पर MRP से अधिक मूल्य सामान का वसूला जाता है । भागलपुर सूरत में बनी हुई चाय 10/- रुपया में बेची जा रही है तथा Tea Bag मांगने पर भी नहीं देते हैं ।
17. रेलवे के द्वारा जो ट्रेन की नई साईट नेट के लिए दी गई है, काम नहीं कर रही है ।
18. नवम्बर से फरवरी माह के बीच दानापुर डिविजन में जहाँ कहीं भी रेक प्वाइंट है, जगह की कमी के कारण माल आने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अत: रेक प्वाइंट बढ़ाया जाय ।
19. ट्रेनों में बेडशीट तथा तकिये का खोल काफी गन्दा दिया जाता है ।
20. DRUCC मेम्बर के अधिकार, कर्त्तव्य क्या हैं? बताया जाय ।
21. लम्बी दूरी की ट्रेन 23, 24 बोगी हो जाने के कारण काफी लम्बी हो जाती है जिसके कारण आगे की पाँच बोगी एवं पीछे की पाँच बोगी के यात्रियों को पानी की नल की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पानी के लिए प्यासा रहना पड़ता है । पटना जंक्शन पर ट्रेनों के आगे एवं पीछे वाली बोगियों के लिए पानी की व्यवस्था तुरन्त की जाय ।
22. पटना जंक्शन पर अचानक गाड़ी आने पर प्लेटफार्म नं० बदलने की सूचना देने के कारण यात्री, बच्चे, बुढ़े, अपंग यात्रियों को अपना सामान लेकर दूसरे प्लेटफार्म के लिए भागना पड़ता है । कुली भी नहीं मिलता है जिसके कारण प्लेटफार्म एवं उपरी पुल व सीढ़ी पर भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण इलाहाबाद स्टेशन वाली स्थिति बन सकती है। बड़ी दुर्घटना होने पर दानापुर डिविजन इसके लिए जिम्मेवार होगा ।
23. किसी भी गाड़ी के आने की जानकारी सूचना पट एवं लाउडस्पीकर पर कम से कम आधा घंटा पहले जरूर से दी जाय । सूचना पट पर अंकित प्लेटफार्म पर ही गाड़ी आये ।
24. पटना जंक्शन पर उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय का बाथरूम काफी गन्दा रहता है । सफाई की उचित व्यवस्था तुरन्त की जाये ।

चैम्बर के भूतपूर्व.... (पृष्ठ एक का शेष)

श्री डी. पी. लोहिया, पूर्व अध्यक्ष ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि 1970 के पूर्व भी वो साहू जैन की तरफ से चैम्बर आते थे । चैम्बर में प्रतिदिन उनकी उपस्थिति उनके चैम्बर के प्रति लगाव और समर्पण का भाव प्रदर्शित करता है ।

अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि मैं उन्हें नाम से नहीं "बाबू साहब" कहकर ही पुकारता था । मैने जब से उन्हें देखा, चैम्बर के लिए सदैव समर्पित देखा । चैम्बर में किसी पद पर हों या नहीं हों, चैम्बर में उनका योगदान अनुकरणीय है । वे चैम्बर बुलेटिन को बेहतरीन बनाने के लिए प्रयासरत रहते थे और इसके लिए काफी समय देते थे ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि सिंह साहब हनुमान भक्त थे । हनुमत कृपा से उनका देहावसान भी मंगलवार को ही हुआ । चैम्बर के लिए जितना समय वे देते थे, उतना और कोई नहीं दे सकता ।

श्री गोपी कृष्ण सराफ, पूर्व उपाध्यक्ष ने अपनी श्रद्धांजलि में स्व. सिंह को चैम्बर का "भीष्म पितामह" कहा । उन्होंने कहा कि दूसरी संस्था होती तो स्व. सिंह को Life Time Achievement Award तक मिलता ।

श्री नन्हे कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से ही मैं नौकरी छोड़ कर व्यापार में आया । उन्होंने मुझे चैम्बर का सदस्य बनाया । इनका स्नेह अंत तक मेरे प्रति रहा । मैं अपने को आज अकेला महसूस कर रहा हूँ । ईश्वर मुझे इस दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करें ।

श्री मुकेश कुमार जैन, चैम्बर कोषाध्यक्ष ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि वे अभिभावक जैसे मुझे सदैव सीख देते थे, कहते थे - मन लगाकर काम करो ।

श्री ए. के. पी. सिन्हा, चैम्बर के महामंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि बाबू के. पी. सिंह से थोड़े ही समय में मुझे काफी घनिष्ठता हो गयी थी । उनकी कमी सदैव खलेगी ।

श्री एन. के. ठाकुर, पूर्व महामंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि 1985 से मेरा सम्बन्ध स्व. सिंह से था । संघर्ष की घड़ी में उन्होंने अपना F.D. तुड़वाकर मेरी आर्थिक सहायता की थी । उस उपकार को मैं सदैव स्मरण रखूँगा ।

श्री सुबोध जैन पूर्व कोषाध्यक्ष ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि उनके निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है, उसकी भरपाई शायद सम्भव नहीं है । वे मेरे लिए अभिभावक तुल्य थे ।

श्री अब्दुल मोजीब अंसारी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके सम्मान में एक शेर कहा–

"हम आये थे खुले बदन, ताउम्र सफर किया,
महज दो गज कफन के लिए ''

श्री रामचन्द्र प्रसाद, को-चेयरमैन, बुलेटीन एण्ड लाइब्रेरी उप समिति का अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गला रूंध गया और इतना कह पाये -'' मैंने आज अपना एक अभिभावक खो दिया ।''

श्री प्रदीप जैन, चेयरमैन, कम्युनिकेशन एवं आई. टी. सब कमिटी ने अपनी श्रद्धांजलि में उन्हें एक नेक इंसान और करूणा का सागर बताया । मेरे साथ वे कुणाल साहब से मिले और ढाई लाख रुपये का चेक महावीर कैंसर अस्पताल के लिए दान दिया । इसके अतिरिक्त नेत्रहीन बालिका विद्यालय को भी सदैव आर्थिक मदद करते थे । चैम्बर में मैं उन्हें प्रहरी के रूप में देखता था । चैम्बर को उनकी स्मृति में कुछ करने की जरूरत है ताकि लोग उन्हें वर्षों याद रखें ।

सुप्रसिद्ध स्तम्भकार श्री सुरेन्द्र मोहन ने भी अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि जब से मेरा उनसे सम्पर्क हुआ मैंने उन्हें हमेशा चैम्बर के प्रति समर्पित पाया । उनका निधन चैम्बर के लिए अपूरणीय क्षति है ।

श्री शशि मोहन, चैम्बर उपाध्यक्ष ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि इस सभागार में ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना अभिभावक खो दिया । यह उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाता है । संक्षेप में कहा जाए तो स्व0 सिंह कर्मवीर, दानवीर, कर्त्तव्यनिष्ठ, क्षमावान, सुहृद और स्नेह की प्रतिमूर्त्ति थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । चैम्बर के प्रति मेरा सम्मोहन और समर्पण उन्हीं की प्रेरणा का प्रतिफल है । उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी । उन्हें कभी किसी ने क्रोधित नहीं देखा । चैम्बर के कम उम्र के मेम्बर को वो हमेशा ''बौआ'' कहकर सम्बोधित करते थे तथा सिनियर मेम्बर एवं चैम्बर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उनके प्रति असीम श्रद्धा एवं सम्मान का भाव था । मदद मांगने पर किसी भी व्यक्ति को वो तन-मन-धन से नि:स्थार्थ भाव से मदद करते थे । चैम्बर की गतिविधियों में उनका योगदान स्मरणीय रहेगा तथा चैम्बर के बुलेटीन को देखते ही उनकी याद सभी मेम्बरों को जरूर आयेगी। बुलेटीन में तो उनकी आत्मा बसती थी । उसकी बेहतरी के लिए रात दिन लगे रहते थे ।

उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बुलेटीन के स्तर को हम बनाये रखें । दु:ख की इस घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर को उनके मित्रों एवं परिवार के सदस्यों को इसे सहने की शक्ति प्रदान करें ।

इसके अतिरिक्त श्री अमित मुखर्जी, श्री एम. पी. बिदासरिया, श्री राजेन्द्र कुमार साहू, श्री रामावतार पोद्दार, श्री प्रदीप चौरसिया, डॉ. बी. बी. वर्मा, श्री बी. पी. झुनझुनवाला सहित कई सदस्यों ने स्व. सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला ।

तत्पश्चात् एक शोक-प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सदस्यों ने अपने भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष श्री के. पी. सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया ।

"यह सभा श्री के. पी. सिंह जी के निधन पर गहरा शोक एवं संवेदना प्रकट करती है तथा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि दिवंगत की आत्मा को चिर-स्थायी शांति, सद्गति एवं उनके शोक-संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

अंत में सदस्यों ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु दो मिनट का मौन रखा ।

संक्षिप्त समाचार

निजी जमीन पर बिना अनुमति सड़क नहीं

जमीन मालिक की अनुमति के बगैर अब ग्रामीण कार्य विभाग सड़क नहीं बनायेगा, निजी जमीन पर सड़क बनाने के बाद कोर्ट में दायर होते मामलों की संख्या को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के संयुक्त सचिव आर लक्ष्मण ने इस बाबत सभी कार्यपालक अभियंताओं को आदेश जारी कर दिया है। **(विस्तृत समाचार : प्रभात खबर : 10.5.2013)**

30 दिन में कनेक्शन नहीं देने पर जुर्माना

विद्युत विनियामक आयोग ने पेसू की लापरवाही पर कड़ा फैसला सुनाया है। तय एक माह में बिजली कनेक्शन नहीं देने पर विलंब होने की तारीख तक प्रतिदिन उपभोक्ता को 50-50 रुपये क्षतिपूर्ति व दोषी अभियंताओं पर प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना ठोका गया है।

(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण : 12.4.2013)

बंद मकानों की बिजली काटने का अभियान

आप मकान बंद कर बाहर रहते हैं, तो बिजली कनेक्शन कट जाएगा या कटने वाला है। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान ने बंद मकान वालों के विरुद्ध बिजली कनेक्शन काटो अभियान शुरू कर दिया है।

(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण : 23.4.2013)

मकान में दुकान तो ज्यादा टैक्स देने की करें तैयारी

घरेलू संपत्ति पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले लोग आने वाले दिनों में एक बड़े टैक्स के दायरे में आएंगे। पटना नगर निगम ने ट्रेड टैक्स की योजना पर कार्य शुरू किया है। योजना का प्रारूप तैयार है। संभावना बताई जा रही है कि कुछ अंतराल के बाद ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण : 23.4.2013)

मामूली संशोधन के साथ लागू हुआ नया एमवीआर

मोहल्ला	रेट (प्रति कट्ठा) पहले	अब
दीघा-आवासीय	15 लाख	30 लाख
व्यावसायिक	20 लाख	78 लाख
मजिस्ट्रेट कालोनी-आवासीय	19 लाख	40 लाख
व्यावसायिक	23 लाख	80 लाख
खाजपुरा-आवासीय	33 लाख	40 लाख
व्यावसायिक	33 लाख	80 लाख
ज्योतिपुरम-आवासीय	20 लाख	40 लाख
व्यावसायिक	23 लाख	80 लाख
शेखपुरा-आवासीय	33 लाख	67 लाख
व्यावसायिक	33 लाख	80 लाख
राजा बाजार आवासीय	33 लाख	67 लाख
बेली रोड	33 लाख	67 लाख
अनिसाबाद - आवासीय	21 लाख	40 लाख
व्यावसायिक	40 लाख	75 लाख
गर्दनीबाग- आवासीय	21 लाख	40 लाख
बेउर आवासीय	15 लाख	30 लाख
बोरिंग रोड-आवासीय	33 लाख	70 लाख
पाटलिपुत्र कालोनी आवासीय	27 लाख	55 लाख
गोरियाटोली-आवासीय	33 लाख	55 लाख
एक्जीविशन रोड- आवासीय	33 लाख	68 लाख
व्यावसायिक	40 लाख	85 लाख
जक्कनुपर -आवासीय	22 लाख	45 लाख
जगनपुरा-आवासीय	16 लाख	40 लाख
पोस्टल पार्क	20 लाख	43 लाख
कंकड़बाग	40 लाख	51 लाख
पत्रकारनगर	26 लाख	45 लाख
कदमकुआं	26 लाख	53 लाख
दरियापुर	20 लाख	63 लाख
हथुआ मार्केट	33 लाख	75 लाख

(साभार : दैनिक जागरण, 15.4.2013)

आडिट के लफड़े से व्यापारियों को राहत

वाणिज्य कर के दायरे को थोड़ा और कस देने से राज्य में व्यापारियों के बड़े तबके को आडिट लफड़े से राहत मिल जायेगी। अब हर श्रेणी में निर्बंधित केवल 10 फीसद कारोबारी का ही आडिट होगा। जिसका चयन कम्प्यूटरीकृत तरीके से किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के आडिट के लिए वैसे व्यापारियों का चयन किया जायेगा जिन्होंने प्रपत्र सी या एफ पर राज्य के बाहर से माल मंगवाया है। इसमें इलेक्ट्रिकल सामान, लोहा व स्टील, टेलीफोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रानिक सामान, कम्प्यूटर व उसके पार्ट्स, मोटर व इंजन, साइकिल व लगेज शामिल हैं। इसी तरह फार्म सी पर माल मंगाने वाले कारोबारियों का चयन टैक्स दायरे के अनुसार किया जायेगा। इस साल सीमेंट, दो, तीन व चार पहिया वाहनों के डीलर, टायर-ट्यूब के डीलर जिनका वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्रास टर्न ओवर एक करोड़ से अधिक हो और उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया है, को आडिट के दायरे में शामिल किया गया है। देशी, मसालेदार व देश में बनी विदेशी शराब के थोक विक्रेता का भी आडिट होगा। वर्ष 2011-12 में जिन व्यापारियों ने ऋणात्मक वृद्धि दिखाई हो उनके यहां आडिट टीम पहुंचेगी। सरकारी ठेकेदारों को छोड़ निजी ठेकेदारों व बिल्डर जिनका सालाना ग्रास टर्न ओवर 20 करोड़ से अधिक है, वे भी आडिट के दायरे में आयेंगे।

1. कम्पाउडिंग डीलर 2. वित्तीय वर्ष 2010-11 में भामा शाह से पुरस्कृत 3. पेट्रोल व डीजल रिटेलर 4. दवा, खाद्य व कीटनाशक के एमआरपी कारोबारी 5. देशी शराब, मसालेदार शराब व भारत में बनी अंग्रेजी शराब के रिटेलर।

कर दायरा	चयन का मापदंड
10 हजार रुपये तक	हर 10वां डीलर
1000- 1 लाख रुपये	हर 10वां डीलर
100001- 5 लाख	हर 10वां डीलर
500001-10लाख रुपये	हर 10वां डीलर
1000001-एक करोड़	हर 5वां डीलर
1 करोड़-अधिक	सभी डीलर

(साभार : दैनिक जागरण, 20.4.2013)

पासपोर्ट शुल्क का भुगतान भी होगा ऑनलाइन

पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद अब ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा भी आवेदकों को मिलेगी। इसको लेकर विदेश मंत्रालय विशेष योजना बना रही है। इसका मकसद है पासपोर्ट की प्रक्रिया से दलालों को दूर भगाना।

फूड प्रोसेसिंग से 900 करोड़ से अधिक का निवेश

उद्योग के मोर्चे पर भले ही सरकार को बड़ी सफलता नहीं मिली है, परन्तु खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) की इकाइयों के कारण प्रदेश में 900 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। उद्योग विभाग के मुताबिक, फूड प्रोसेसिंग की 170 इकाइयों के लिए निवेश हुआ है, और इनमें से 87 में उत्पादन आरंभ भी हो गया है। इन इकाइयों से 13 हजार से अधिक को रोजगार मिलेगा।

(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण, 10.5.2013)

इन्हें मिलेगी 'वॉक इन सुविधा'

- 60 वर्ष से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिक।
- 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे जिनके माता-पिता के पास वैद्य पासपोर्ट है।
- शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्ति।
- तत्काल सेवा के तहत आवेदन करने वाले या नवीनीकरण (रि इश्यू)।
- पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) आवेदक।
- पासपोर्ट पर अपने पति या पत्नी का नाम शामिल कराने वाले आवेदक।
- वीजा समाप्त होने की स्थिति में नई बुकलेट के लिए आवेदन करने वाले वैद्य पासपोर्टधारक।
- केन्द्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, उनके जीवन साथी और निर्भर छोटे बच्चे, जिनके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र/पहचान पत्र हो।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.5.2013)

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों की सेवा में वर्ष 2013-14 के लिए कार्यालय से सदस्यता शुल्क का विपत्र भेजा जा चुका है। कई सदस्यों ने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया है। जिन सदस्यों ने अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेजा है, उनसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्र भेजने की कृपा करें।

मनोनयन

चैम्बर के कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री सच्चिदानन्द को मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति, दानापुर (DRUCC) में दिनांक 24 मई, 2013 को सम्पन्न हुई प्रथम बैठक में श्रेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति, हाजीपुर (ZRUCC) के लिए निर्विरोध सदस्य मनोनीत किया गया। श्री सच्चिदानन्द जी वहाँ DRUCC दानापुर का प्रतिनिधित्व करेंगे।

चैम्बर की ओर से श्री सच्चिदानन्द जी को हार्दिक बधाई।

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Price Rs. 0.25
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296